पत्रांक 1954/आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः: देहरादूनः: 13 अगस्त, 2009

प्रार्थना पत्र सं0 – 1323/दिनांक 27.05.09
सर्वश्री एक्शन कन्स्ट्रक्सन इक्यूपमेन्ट लि0
इण्ड0 एरिया– 1 बाजपुर, ।
निर्णय का दिनांक– अगस्त 2009,
फर्म की ओर से उपस्थित– श्री मयंक कुमार गुप्ता, अधिवक्ता।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

मैसर्स एक्शन कन्स्ट्रक्सन इक्यूपमेन्ट लि0, इण्ड0 एरिया– 1 बाजपुर, द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए "Backhoe Loader" पर कर देयता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, काशीपुर संम्भाग, काशीपुर द्वारा उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि व्यापारी द्वारा स्वनिर्मित माल की बिक्री कर वर्ष 06–07 से अब तक 12.5 प्रति0 की दर से कर जमा किया जा रहा है।

3. फर्म की ओर से श्री मयंक कुमार गुप्ता अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए, उनके द्वारा लिखित उत्तर दाखिल करते हुए अवगत कराया गया कि "Backhoe Loader" के द्वारा मिटटी एवं जमीन को खोदने तथा मिटटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य किया जाता है। अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मद्रास द्वारा मैसर्स जनरल मार्केटिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग लि0 बनाम तमिलनाडू राज्य एण्ड अदर्स (1992) 86 एस0टी0सी0 434 (Mad.) पारित निर्णय का हवाला दिया गया है।

4. मेरे द्वारा विभागीय मत एवं फॅर्म द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया गया । उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–2 बी के तहत क्रमांक 138 पर दिनांक 27–2–2009 से प्रवृत करते हुये:–

"(a) Road Roller, paver finishers, compactors, road sweepers, bitumen pressure distributors, Pothole Repairing machine. Drum mix plant, hot Mix plant, earthmovers and excavators, drilling and mining machinery, Air compressors, jack hammers, wagon drills and parts thereof.

(b) Utility Track Vehiles, OHE maintenance cars, Rail-Cun-Road vehicles,Ballast Tamping machine, Rail grinding machine track renewal trains and parts thereof" को रखा गया है। उक्त प्रविष्टि में अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त "अर्थ मूवर्स तथा एक्सकेवेटर्स" को भी सम्मिलित करते हुए इनपर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गई है। फॅर्म द्वारा जिस वस्तु का निर्माण करते हुए बिक्री की जा रही है वह इस प्रविष्टि में निर्विवाद रूप से सम्मिलित नहीं है। कर अधिनियमों में उल्लिखित परिभाषाओं अथवा कर देयता के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित वस्तुओं में किसी वस्तु विशेष (जिसका उल्लेख वर्णीकरण में नहीं है) के सम्मिलित होने या न होने के सम्बन्ध में वस्तुतः अधिनियम में दी गयी परिभाषा अथवा कर देयता के सम्बन्ध में प्राविधानित वर्गीकरण को ही adopt किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय /उच्च न्यायालय द्वारा अनेकों मामलों में यह व्यवस्था दी है कि कर सम्बन्धी प्राविधानों का विश्लेषण करते समय law of equity पर विचार नहीं किया जा सकता अर्थात न

–2–

13/08

तो हम कुछ assume कर सकते हैं और न ही कुछ presume कर सकते हैं । अर्थात हम कोई अवधारणा/परिकल्पना स्वतः निरूपित नहीं कर सकते । अतः विवादित वस्तु "backhoe loader" निर्विवादित रूप से 4 प्रतिशत की दर से कर देय वस्तुओं के उक्त वर्गीकरण में सम्मिलित न होने के कारण इसे अवर्गीकृत वस्तु ही माना जायेगा। आवेदनकर्ता भी विवादित वस्तु को अवर्गीकृत वस्तु मानकर ही देय कर जमा कर रहे हैं।

इस प्रकार उक्त प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा संम्बन्धित कर निंधारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

भवदीय

(बी0के0सक्सेना)
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0 1254 /दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सर्वश्री एक्शन कन्स्ट्रक्सन इक्यूपमेन्ट लि0, इण्ड0 एरिया– 1 बाजपुर, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून/कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट)/(प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/ हरिद्वार/ काशीपुर/ हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 /परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर ।
8. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
9. पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूड़की ।
10. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

13/08/08

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।